संख्या-139/2015/1793/71-1-2015-ए-2/2006टी0सी0

प्रेषक,

राजकुमार सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 26 अगस्त, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-138/2015/1693/71-1-2015-ए-2/2006टी0सी0, दिनॉक 25-08-2015 में त्रुटिवश स्वीकृत धनराशि "34,45,55,000/- (रू0 चौतीस करोड़ पैतालीस लाख पचपन हजार मात्र)" का उल्लेख हो गया है। अतः उक्त के स्थान पर स्वीकृत धनराशि "35,45,55,000/- (रू0 पैतीस करोड़ पैतालीस लाख पचपन हजार मात्र)" पढ़ा जाए।

2- उपर्युकत शासनादेश संख्या-138/2015/1693/71-1-2015-ए-2/2006टी0सी0, दिनॉक 25-08-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्याः-139/2015/1793(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज आजमगढ़।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।